मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (शोध्य धनराशियों की वसूली) नियम, 1976

["मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण), दिनांक 8 सितम्बर, 1976 में प्रकाशित तथा अधिसूचना दिनांक 4 फरवरी 1980 द्वारा संशोधित]

नियम

1. ये नियम मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य (शोध्य धनराशियों की वसूली) नियम, 1976 कहलायेंगे.

1 [1-क. इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा के अंतर्गतआता है विधान सभा का कोई ऐसा अन्य अधिकारी जो अध्यक्ष द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों के लिये प्राधिकृत किया गया हो.]

2. किसी भी ऐसी धनराशि के लिये जो किसी विधान सभा सदस्य से, सदस्य की हैसियत से उसको दी गई वास सुविधा के किराये के मद्दे या की गई उसकी सेवा के या दी गई किसी सुविधा के प्रभारों के मद्दे या सदस्य की हैसियत से उसको अन्यथा दी गई किसी वस्तु के प्रभारों के मद्दे सोध्य तथा उसके द्वारा (सदस्य द्वारा) देय हो, मांग-पत्र इन नियमों से संलग्न प्ररूप में होगा और सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को अग्रेषित किया जाएगा.

3. नियम 2 के अधीन मांग पत्र प्राप्त होने पर वह अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा जो ऐसी रकम की, जो कि सदस्य के विरूद्ध बकाया दर्शायी गयी हो और संबंधित सदस्य के वेतन देयक या यात्रा भत्ता देयक से ऐसी समान क़िश्तों में जैसा कि वह अवधारित करे, कटौती के आदेश दे सकेगा;

परंतु जहां वसूली सदस्य के वेतन देयक से की जानी है, वहां इस प्रकार नियत की गई मासिक किश्त किसी एक मास के लिये उसे अनुज्ञेय वेतन तथा भत्ता के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी.

4. ऐसे मामले में जहां किसी रकम का सदस्य के यात्रा भत्ता देयक से कटौती किये जाने का आदेश दिया गया हो, वहां विधान सभा सचिवालय द्वारा आवश्यक कटौती की जायेगी, किन्तु यदि संबंधित सदस्य के वेतन देयक से कोई कटौती की जानी हो तो वह उस खजाना के, जहां से कि सदस्य अपना वेतन निकालता है, खजाना अधिकारी को प्रज्ञापित करेगा, की जावेगी.

5. विधान सभा सचिवालय की, सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा के हस्ताक्षर के अधीन प्रज्ञापना, संबंधित सदस्य के वेतन देयक से आवश्यक कटौती करने हेतु संबंधित खजाना अधिकारी के लिये पर्याप्त प्रधिकार होगी.

6. खजाना अधिकारी, संबंधित सदस्य के वेतन देयक में से रकम की कटौती करने के पश्चात् सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को वसूली के ब्यौरे प्रज्ञापित करेगा जो (सचिव) उसे उस प्राधिकारी को, प्रज्ञापित करेगा जिससे कि मांग पत्र प्राप्त हुआ था.

प्ररूप

(नियम दो देखिये)

विधान सभा सदस्य के विरूद्ध बकाया शोध्यों के बयौरे देने वाला प्ररूप

क्रमांक	सदस्य का नाम	बकाया रकम	रकम की विशिष्टियां	कालावधि जिसके लिये बकाया रकम संबंधित है	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6